न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस.
वाद पत्र संख्या : 244 / 2020
निर्णय दिनांक : 06/4/22

1. गोपाल पुत्र रतना मृतक दौराने दावा
1/1. मोती देवी पत्नी स्व गोपाल
2. रामसहाय पुत्र रतना
3. जगदीश पुत्र रतना
4. भौरीलाल पुत्र रतना
5. रणजीता पुत्र गोविन्द नारायण
6. रघुवरदयाल पुत्र गोविन्द नारायण
7. कन्हैयालाल पुत्र गोविन्द नारायण
8. सीताराम पुत्र गोविन्द नारायण
9. छुट्टन लाल पुत्र गोविन्द नारायण
10. लालाराम पुत्र रामफुल

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम छॉदेलकला तहसील चाकसू जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. हरपाल पुत्र देवालाल
2. रामभजन पुत्र देवालाल
3. भौरी देवी पत्नी रामपाल
4. शंकरलाल पुत्र रामपाल
5. दयाराम पुत्र रामपाल

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम छॉदेलकला तहसील चाकसू जिला जयपुर।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 आर.टी. एक्ट 1955

निर्णय

उक्त प्रकरण माननीय जिला कलक्टर जयपुर के आदेश से इस न्यायालय को सुनवाई हेतु प्राप्त हुई। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। वादीगण की आरे से एडवाकेट श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा ने वकालतनामा पेश किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से एडवाकेट श्री राजकुमार पारीक ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 5 की ओर से एडवोकेट श्री डोनेश कुमार जैन उपस्थित हुये। उक्त वाद मे माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के निर्णय अनुसार [illegible]18 एव अंतिम निर्णय डिक्री दिनांक 28.05.2018 दोनो ही प्रतिवादी [illegible] को सुने बिना निर्णित किये जाने के कारण खारिज किये [illegible] प्रतिप्रेषित की जाकर निर्देशित किया जात[illegible] को सुनकर समुचित आदेश प्रदान करे। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी ज[illegible] के आदेशानुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। वादीगण द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र दिनांक 09.05.2018 पर उपभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस रिव्यू प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 07.06.2016 को राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:52:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

अभियान में दिनांक 07.06.2016 को प्रकरण को बिना किसी आधार के खारिज फरमा दिया गया। उक्त दिवस को पक्षकारों के उपस्थित के हस्ताक्षर करवाये गये थे, कोई राजीनामा पेश किया गया था। बिना राजीनामें के उक्त प्रकरण का निस्तारण कर दिया जाकर अतः वाद खारिज फरमा दिया गया। जबकि वादी का वाद डिक्री किय जाने योग्य था। चूकि वादी ने प्रथम विक्रय पत्र के आधार पर घोषणा का वाद पेश किया है। प्रतिवादी का विक्रय पत्र पश्चात्वर्ती है जो प्रारम्भ में ही शून्य है। उक्त तथ्यों की ओर कोई गोर नही किया गया है। ना ही सुनवाई का अवसर दिया गया। प्रतिवादी द्वारा माननीय न्यायालय को गुमराह किया जाकर उक्त वाद खारिज करवाया है। अतः वादी का रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण का मेरिट पर निस्तारण किया जावें व प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जावे। उक्त आदेश दिनांक 07.06.2016 को अपास्त किया जावें। जवाब में प्रतिवादी संख्या 7 के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत नही किया गया है तथा फैसला मेरिट पर निर्णित किया गया है। रिव्यू प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से मिलान नहीं खाते है, रिव्यू प्रार्थना पत्र का क्षेत्र सीमित होता है, रिव्यू प्रार्थना पत्र के माध्यम से फैसले में किसी प्रकार का परिवर्तन नही किया जा सकता जब तक कोई तथ्य न्यायालय के ध्यान में आने से रह गये हो ऐसा कोई तथ्य रिव्यू प्रार्थना पत्र में अंकित नही किया गया है। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में एकांगी रूप से स्वीकार कर उन्ही तथ्यों पर पूर्व में पारित निर्णय को पलट दिया, माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर ने अनुचित मानकर रिव्यू प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 16.05.2018 एवं निर्णय व डिक्री दिनांक 07.06.2016 को नये सिरे से सुनने के आदेश माननीय न्यायालय को प्रदान किये है। दिनांक 07.06.2016 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है, जिसमें रिव्यू प्रार्थना पत्र के माध्यम से हस्तक्षेप नही किया जा सकता है इसलिये वादीगण का प्रार्थना खारिज फरमाया जावे।

उभयक्षकारान की बहस व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत नही किया, रिव्यू प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से मिलान नहीं खाते है, प्रकरण को मेरिट पर निस्तारित किया गया है, नवीन तथ्य प्रस्तुत किये बिना निर्णय में परिवर्तन किया जाना रिव्यू प्रार्थना पत्र की परिधि से बाहर है एवं रिव्यू प्रार्थना पत्र के माध्यम से पारित निर्णय या आदेश में कोई महत्वपूर्ण बिन्दू का ज्ञात होना रह गया हो उसी निर्णय या आदेश को रिव्यू प्रार्थना पत्र के माध्यम से हस्तक्षेप किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः वादीगण की ओर से पेश रिव्यू प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है एवं पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.06.2016 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली दर्ज फेसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/01/22 को सुनाया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:52:47 IST
Reason: SelfAttested

(राजेश कुमार)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)
जयपुर